



कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com

Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 1833 / 12-1 मसूरी, दिनांक- 30 / 11 / 2023

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड,
6-इन्दिरानगर, देहरादून।

विषय :- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सहस्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No.-FP/UK/ROAD156915/2022)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक- 8बी०/यू०सी०पी०/06/76/2022/एफ०सी०/1103, दिनांक-23/11/2023।

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त पत्र में उल्लिखित शर्त संख्या 3 के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या- 1459/3-5-2 P.O. दिनांक-01 जुलाई 2021 में उल्लिखित वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित दर के अनुसार धनराशि एवं शर्त संख्या-5 के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि का विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	मद	भौतिक	दर	देय धनराशि (रु०)
1.	प्रतिपूरक वनीकरण कार्य एवं उसका दस वर्षों तक अनुरक्षण	8.44 है०	₹ 448791.00 per ha.	₹ 37,87,796.00
2.	एन०पी०वी० (इको श्रेणी-V, घनत्व-0.5)	4.22 है०	₹ 1292850.00 per ha.	₹ 54,55,827.00
				₹ 92,43,623.00
₹ बयानबबे लाख तैतीलीस हजार छः सौ तेईस मात्र				

अतः उक्तानुसार धनराशि का भुगतान ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें एवं परिपूर्ण अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में संगत दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय को अग्रतः कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(~~वैभव कुमार सिंह~~)

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी